अनुलग्नक II

परिभाषाएँ

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो:

(क) "बैंक" या "बैंकिंग कंपनी" से एक बैंकिंग कंपनी अभिप्रेत है जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित किया गया है या "संबंधित नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" या "सहायक बैंक" के रूप में
क्रमशः खंड (डीए), खंड (एनसी) और खंड (एनडी) में परिभाषित किया गया है और
इसमें उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित "सहकारी बैंक" शामिल है।

(ख) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक अभिप्रेत है।

(ग) "अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एफआई)" का अर्थ उन वित्तीय संस्थानों से है जिन्हे विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जहां भी लागू हो समोवशी सीमा तक मीयादी धन, मीयादी जमा, जमाराशि प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और अंतर-कंपनी जमाराशियां के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी गई है।

(घ) "प्राथमिक व्यापारी" से एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है जो समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 29 मार्च, 1995 के "सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारी के लिए दिशानिर्देश" के अनुसरण में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राथमिक व्यापारी के रूप में वैध प्राधिकार पत्र रखती है।

(ङ) "कॉर्पोरेट" या "कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 I (एए) में परिभाषित किया गया है लेकिन इसमें ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जो कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के तहत बंद किया जा रहा है।

(च) "गैर-बैंकिंग कंपनी" से बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई अन्य कंपनी अभिप्रेत है।

(छ) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 I (एफ) के तहत परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।

(i) "कार्यशील पूंजी सीमा" से कुल सीमाएं अभिप्रेत हैं, जिनमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक या अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत बिलों की खरीद/छूट शामिल हैं।

(ञ) "मूर्त निवल मालियत" से कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार,
जैसा कि हानि का संचित शेष, आस्थगित राजस्व व्यय का शेष, साथ ही अन्य अमूर्त आस्तियां कम करके प्रदत्त पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधियां (शेयर प्रीमियम खाते, पूंजी और डिबेंचर मोचन में शेष राशि और किसी भी भविष्य के देयता की चुकौती के लिए या परिसंपत्तियों में मूल्यह्रास के लिए या खराब ऋणों या परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित निधियों के लिए आरक्षित निधियों का सृजन नहीं किया जा रहा है) अभिप्रेत है।

(ट) उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ लेकिन यहां परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा जो उन्हें इस अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।